

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

सप्तम् सत्र

सोमवार, 8 दिसम्बर, 2014/17 अग्रहायण, 1936 (शक्)

2.00 बजे (अपराह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित: पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे।

(i) दिन के लिए

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, सोमवार 8 दिसम्बर, 2014 से प्रारम्भ हो रहे सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे।

3. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे:

(1) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन नियम, 2005 के नियम 7 के अन्तर्गत प्ररूप-5;
- (ii) हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के नियम 16 के उप-नियम 12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014;

- (iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्राम कंसलटेशन) अट्टाईसवां अमेंडमेंट रेगुलेशनज़, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या: पर(एपी-बी)ए(3)2/2014 दिनांक 13.11.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2014 को प्रकाशित;
- (iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के प्रक्रिया और संचालन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या: पर(एपी-बी)डी(3)-4/2001 दिनांक 13.11.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2014 को प्रकाशित;
- (v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित, अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के गठन की बाबत अधिसूचना के पैरा 2 का संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या: पर(एपी-बी)बी(1)-1/98-III दिनांक 13.11.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2014 को प्रकाशित;
- (vi) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के परन्तुक के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित);
- (vii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के परन्तुक के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13;
- (viii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, सहायक आचार्य (महाविद्यालय संवर्ग), वर्ग-I(राजपत्रित) और संविदा भर्ती और प्रोन्ति (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0डी0एन0-ए0-ख(3)5/1999-लूज-III दिनांक 24.07.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.08.2014 को प्रकाशित; और

- (ix) जल (प्रदूषण का नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 40(7) तथा वायु (प्रदूषण का नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 36(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के वार्षिक लेखे, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित) ।
- (2) श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियम) अधिनियम, 2010 की धारा 50(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर का वार्षिक लेखा तथा बेलेंस शीट (Balance Sheet), वर्ष 2010-11;
- (ii) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियम) अधिनियम, 2010 की धारा 50(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर का वार्षिक लेखा तथा बेलेंस शीट (Balance Sheet), वर्ष 2011-12;
- (iii) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियम) अधिनियम, 2010 की धारा 50(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर का वार्षिक लेखा तथा बेलेंस शीट (Balance Sheet), वर्ष 2012-13; और
- (iv) बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 35 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 ।
- (3) श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योगिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर की वार्षिक परीक्षित लेखा, वर्ष 2008-09;
- (ii) हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योगिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर की वार्षिक परीक्षित रिपोर्ट, वर्ष 2007-08;

- (iii) हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योगिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 के परन्तुक के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर की वार्षिक लेखा रिपोर्ट, वर्ष 2007-08;
- (iv) हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योगिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर की वार्षिक परीक्षित रिपोर्ट, वर्ष 2008-09; और
- (v) हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योगिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर की वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2009-10 ।
- (4) श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, वन मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यजीवी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:-फिश-ए(3)-7/2005 दिनांक 01.11.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.11.2014 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

4. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

1. श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-
 - (i) समिति का 64वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा परिवहन विभाग से सम्बन्धित है;
 - (ii) समिति का 65वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है;

- (iii) समिति का 66वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 253वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है;
- (iv) समिति का 67वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 223वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है;
- (v) समिति का 68वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 58वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित है; और
- (vi) समिति का 69वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 7वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है।

2. श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेगी तथा सदन के पटल पर रखेगी :-
 - (i) समिति का 25वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08(वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्या:4.12 के स्वयंमेव उत्तरों की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से सम्बन्धित है; और
 - (ii) समिति का 26वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15), जोकि भारत के नियन्त्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2006-07(वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्या: 2.1 पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम से सम्बन्धित है।
3. श्री कर्ण सिंह, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2014-15), समिति का नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के प्रथम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वन्य जीवन विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेगे तथा सदन के पटल पर रखेगे।

5. विधायी कार्य :सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

(i) श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणमन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 7)

अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 14) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(ii) श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणमन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2014

(2014 का विधेयक संख्यांक 9)

प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(iii) श्री जी0एस0 बाली0, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलेमन्त्री, प्रस्ताव करेंगे

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014

(2014 का विधेयक संख्यांक 13)

कि हिमाचल प्रदेश राज्य में, तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन करने के लिए विधि को पुनः अधिनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(iv) श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश (होटल

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014

(2014 का विधेयक संख्यांक 8)

और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(v) श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
 (2014 का विधेयक संख्यांक 11)

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

(vi) श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
 (2014 का विधेयक संख्यांक 12)

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

6. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

श्री महेश्वर सिंह }
 श्री सुरेश भारद्वाज } प्रस्ताव करेंगे कि:

" प्रदेश में बन्दरों, आवारा कुत्तों व पशुओं की बढ़ती संख्या एवं आतंक से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।

(बृज बिहारी लाल बुटेल),
 अध्यक्ष ।

(सुन्दर सिंह वर्मा),
 सचिव ।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)